भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 959

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष को बढ़ावा देना

959. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आयुर्वेद और अन्य आयुष उत्पादों/दवाओं में भारी धातुओं के कथित उपयोग से अवगत है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) वर्तमान में देश में कार्यशील यूनानी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में, विशेषकर दिल्ली में ऐसे और अस्पताल/केंद्र खोलने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): मंत्रालय यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग फेस्ट/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी योजना) के संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) भी विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय भारतीय आयुष औषधि विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाता है; हितधारकों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष क्षेत्र के बाजार में विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठियाँ आयोजित करता है।

सीएसएस आईसी योजना के अंतर्गत 25 देश-दर-देश समझौता ज्ञापन (एमओयू), 15 आयुष पीठ एमओयू और 52 संस्थान-दर-संस्थान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष संवर्धन के लिए, आयुष मंत्रालय ने **संलग्नक-I** में दिए गए विवरण के अनुसार 05 अनुसंधान परिषदें और 12 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। ये संस्थान अपने परिधीय संस्थानों/इकाइयों/केंद्रों के साथ सामान्य बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) ओपीडी, वृद्धावस्था ओपीडी, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लिनिक आदि के माध्यम से उपचार प्रदान कर रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में आरोग्य, स्वास्थ्य मेले, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनियों और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के माध्यम से यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष संवर्धन हेतु जागरूकता गतिविधियों में भी कार्यरत हैं। इसके अलावा, ये आयुष चिकित्सा पद्धति से संबंधित जानकारी जनता के बीच प्रसारित करने के लिए पत्रिकाएँ/बुलेटिन भी प्रकाशित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं और स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति में शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं।

आयुष मंत्रालय देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषज संहिता मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियम, 1945 के अनुसार, इसमें शामिल एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। एएसयू और एच औषधियों के गुणवत्ता मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारी धातुओं की अनुमेय सीमाएँ भी निर्धारित करते हैं। भारत में विनिर्मित, विक्रय की गई और भण्डारित एएसयू और एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। इन भेषज मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि औषधियाँ पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में इष्टतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों।

(घ): देश में 267 यूनानी अस्पताल और 1874 यूनानी औषधालय कार्यशील हैं। विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, दिल्ली सहित देश में यूनानी सहित आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन क्षेत्रों में नए एकीकृत आयुष अस्पतालों और नए आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जहाँ आयुष सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

*****

संलग्नक-I

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों का विवरण

अनुसंधान परिषदें:

क्र.सं.	**अनुसंधान परिषद का नाम**
1	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)
2	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)
3	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)
4	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)
5	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)

राष्ट्रीय संस्थान:

क्र.सं.	**संस्थान के नाम**
1	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) • जयपुर • पंचकुला (अनुषंगी केंद्र)
2	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) • नई दिल्ली • गोवा (अनुषंगी केंद्र)
3	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), दिल्ली
4	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर
5	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली
6	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे
7	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) • बेंगलुरु • गाजियाबाद (अनुषंगी केंद्र)
8	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई
9	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच) • कोलकाता • नरेला (अनुषंगी केंद्र)
10	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर), लेह
11	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग
12	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर), पासीघाट

संलग्नक-II

दिनांक 01.04.2023 तक यूनानी अस्पतालों और औषधालयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनानी	
		अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	2	92
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1
3	असम	0	0
4	बिहार	1	333
5	छत्तीसगढ़	1	26
6	दिल्ली	2	25
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	1	23
10	हिमाचल प्रदेश	0	3
11	जम्मू-कश्मीर	6	267
12	झारखंड	0	147
13	कर्नाटक	25	89
14	केरल	0	16
15	मध्य प्रदेश	4	64
16	महाराष्ट्र	7	24
17	मणिपुर	5	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	0	9
22	पंजाब	1	34
23	राजस्थान	11	341
24	सिक्किम	0	0
25	तमिलनाडु	1	65
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	183	73
28	उत्तराखंड	3	2
29	पश्चिम बंगाल	1	6
30	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	0	0
31	चंडीगढ़	0	2
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0	0
33	लद्दाख	0	8
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पुडुचेरी	0	0
36	तेलंगाना	3	184
	कुल (क)	**257**	**1834**
(ख) सीजीएचएस और केंद्र सरकार के संगठन		10	40
	कुल (क+ख)	**267**	**1874**